न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद संख्या :– 26/2024

शीर्षक

. राजेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री नागरमल अग्रवाल जाति–महाजन, निवासी–वार्ड नं. 18 बाबा श्याम कॉलोनी शाहपुरा, जिला–जयपुर (राज.)

–वादी

बनाम

.अर्जुन पुत्र श्यामलाल

गोठी पुत्री श्यामलाल

.चंदी पुत्री श्यामलाल

. नन्छी पुत्री श्यामलाल

प्रभाती पत्नि श्यामलाल

. भींवा पुत्र श्यामलाल

.मुकेश पुत्र श्यामलाल

.रमेशी पुत्री श्यामलाल

.राजु पुत्री श्यामलाल

10 रामकरण पुत्र श्यामलाल

11. रामधन पुत्र श्यामलाल

12 रोहिताश पुत्र श्यामलाल

13 विकास पुत्र श्यामलाल

14. हंसा पुत्री श्यामलाल

15 अर्जुनलाल दत्तक पुत्र भूरा

16. बाबूलाल पुत्र भैरूराम

17. मुरली देवी पत्नि श्योनाथ

18 रामजीलाल पुत्र श्योनाथ

19 रामेश्वर पुत्र श्योनाथ

20 शम्भुदयाल पुत्र श्योनाथ

21. सेडू उर्फ सेडूराम पुत्र श्योनाथ

समस्त जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला–जयपुर (राज.)

22. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

सहायक कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

. शाखा प्रबन्धक केनरा बैंक शाखा शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

. शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैंक शाखा मनोहरपुर जिला जयपुर (राज.)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 20/5/2024

प्रकरण संक्षेप्त में इस प्रकार है कि हाल आराजी खाता संख्या 455 के खसरा नम्बरान् 3296/0.48, 3297/0.47 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9500 हैक्टेयर वाकै ग्राम कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.) में स्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा राजस्वा रिकार्ड में दर्जेहाल है। यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 में वर्णित आराजी मुतनाजा का आज तक वैधानिक बँटवारा नहीं हुआ है जबकि वादी व प्रतिवादीगण मौका पर आपसी सहमति से अपने–अपने हिस्से पर आबाद होकर काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना रखा है जिसके चलते वादी के कब्जा काश्त में दखलनदाजी पैदा करते है जिस कारण शामलाती में काश्त करना सम्भव नहीं रहा है। दिनांक 22/02/2024 को वादी ने प्रतिवादीगण से अपने खेतो का सहमति से बँटबारा करवाकर नम्बर व रकबा अलग–अलग करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण बँटवारा करवाने से साफ इन्कारी हो गये तथा बादी के साथ आमाद फिसाद हो गये तथा एलानिया धमकी दी है कि हम किसी भी किमत पर आराजी का वैधानिक बँटवारा नही होने देगें तथा वादी के कब्जे काश्त में इसी प्रकार मदाखलत पैदा करते रहेगें। जिस कारण वादी को अपने विधिक अधिकारो की सुरक्षार्थ न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद पत्र पेश करना अति आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण अपने अवैध मन्सुबो में किसी कदर भी कामयाब हो गये तथा वादी को काश्त नहीं करने दी एवं कब्जा काश्त में मदाखलत पैदा कर दिया या वादी को बेदखल कर दिया तो वादी को नाकाबिले तलाफी होगी तथा वादी के विधिक अधिकारो पर कुठाराघात होगा एवं वादी को अपनी आराजी से महरूम होना पड़ेगा एवं वादी को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति धनराशि से किसी रूप में सम्भव नहीं हो सकेगी तथा पक्षकारान् में परस्पर मुकदमें बाजी बढ़ेगी।

अन्त में निवेदन किया गया कि आराजी खाता संख्या 455 के खसरा नम्बरान् 3296/0.48, 3297/0.47 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9500 हैक्टेयर वाकै ग्राम कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.) का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार राजस्व नियमो के मुताबिक राजस्व नियमावली को मध्य नजर रखते हुये मौका पर कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुये सरस–नरस (बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस) के अनुसार पर कानूनी बँटवारा किया जाये तथा तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे एवं पृथक–पृथक राजस्व लगान निर्धारित किये की आज्ञा प्रदान करे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव सदैव के लिये इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद पत्र के खण्ड संख्या 01 में वादी के हिस्से में आई आराजी मुतनाजा के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बेवजह मदाखलत पैदा न तो स्वयं करे और न ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, उत्तराधिकारी, स्थानापन्न से करावें जबकि वादी को शान्ति पूर्वक काबिज एवं आबाद रहकर काश्त करने देवे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गए। प्रतिवादीगण की तामील प्राप्त हुई। बाद तामील कोई उपस्थित नहीं एवं उक्त प्रकरण में वकील वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र शीघ्र सुनवाई प्रस्तुत करने के उपरान्त उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाने से प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 09.05.2024 नियत की गई एवं उक्त संबंध में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। दिनांक 9.5.2024 को बाद तामील कोई उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वकील वादी ने प्रकरण में प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन मूल वाद बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का होने से प्रकरण में दिनांक 09.05.2024 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को बंटवारा रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक /भू0अ0/2024/2428 दिनांक 15.05.2024 के द्वारा बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। बंटवारा कुर्रेजात पर वकील वादी को सुना गया। वकीलवादी ने बंटवारा /कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को अन्तिम डिक्री किये जाने हेतू निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट सही होने से प्रकरण को कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप वादी का वाद कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता। हाल आराजी खाता संख्या 455 के खसरा नम्बरान् 3296/0.48, 3297/0.47 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9500 हैक्टेयर भूमि का वाकै ग्राम कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

प्रभाती पत्नी श्यामलाल जाति अहीर हि0 125/11284 सा0 देह खातेदार , अर्जुनलाल पुत्र श्यामलाल जाति अहीर हि0 125/11284 सा0 देह खातेदार , गोठी पुत्री श्यामलाल जाति अहीर हि0 125/11284 सा0 देह खातेदार, चन्दी पुत्री श्यामलाल जाति अहीर हि0 125/11284 सा0 देह खातेदार, नन्छी पुत्री श्यामलाल जाति अहीर हि0 125/11284 सा0 देह खातेदार, भीवा पुत्र श्यामलाल जाति अहीर हि0 125/11284 सा0 देह खातेदार, मुकेश पुत्र श्यामलाल जाति अहीर हि0 125/11284 सा0 देह खातेदार, रमेशी पुत्री श्यामलाल जाति अहीर हि0 125/11284 सा0 देह खातेदार, राजू पुत्री श्यामलाल जाति अहीर हि0 125/11284 सा0 देह खातेदार, रामधन पुत्र श्यामलाल जाति अहीर हि0 125/11284 सा0 देह खातेदार, विकास पुत्र श्यामलाल जाति अहीर हि0 125/11284 सा0 देह खातेदार, हंसा पुत्री श्यामलाल जाति अहीर हि0 125/11284 सा0 देह खातेदार, रोहिताश पुत्र श्यामलाल जाति अहीर हि0 125/11284 सा0 देह खातेदार राहिन कैनरा बैंक शाखा शाहपुरा, रामकरण पुत्र श्यामलाल हि0 125/11284 राहिन कैनरा बैंक शाखा शाहपुरा, बाबूलाल पुत्र भैरूराम जाति अहिर हि0 18/ 403 सा0 देह खातेदार, मुरली देवी पत्नी श्योनाथ जाति अहीर हि0 25/1612 सा0 देह खातेदार , रामजीलाल पुत्र श्योनाथ जाति अहीर हि0 25/1612 सा0 देह खातेदार , रामेश्वर पुत्र श्योनाथ जाति अहीर हि0 25/1612 सा0 देह खातेदार , शंभूदयाल पुत्र श्योनाथ जाति अहीर हि0 25/1612 सा0 देह खातेदार , सेडू पुत्र श्योनाथ जाति अहीर हि0 25/1612 सा0 देह खातेदार, सेडुराम पुत्र श्योनाथ जाति अहीर हि0 125/1612 सा0 देह खातेदार, अर्जुनलाल दतक पुत्र भूरा अहीर हि0 20/31 सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी ख0 न0 3296 रकबा 0.4800 है0, 3297/1 रकबा 0.3260 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.8060 है0 भूमि रहेगी।

राजेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र नागरमल अग्रवाल हि0 सम्पूर्ण जाति महाजन नि0 वार्ड नि0 18 बाबा श्याम कॉलोनी शाहपुरा खातेदार के हिस्से में आराजी ख0 न0 3297/2 रकबा 0.1440 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20/5/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मुहर: न्यायालय सहायक कलक्टर, शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज., सत्यमेव जयते)

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
वाद संख्या :– 26/2024

शीर्षक

1. राजेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री नागरमल अग्रवाल जाति–महाजन, निवासी–वार्ड नं. 18 बाबा श्याम कॉलोनी शाहपुरा, जिला–जयपुर (राज.)

–वादी

बनाम

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. सत्यमेव जयते

1.अर्जुन पुत्र श्यामलाल

2 गोठी पुत्री श्यामलाल

3.चंदी पुत्री श्यामलाल

4. नन्छी पुत्री श्यामलाल

5 प्रभाती पत्नि श्यामलाल

6. भींवा पुत्र श्यामलाल

7.मुकेश पुत्र श्यामलाल

8.रमेशी पुत्री श्यामलाल

9.राजु पुत्री श्यामलाल

10 रामकरण पुत्र श्यामलाल

11. रामधन पुत्र श्यामलाल

12 रोहिताश पुत्र श्यामलाल

13 विकास पुत्र श्यामलाल

14. हंसा पुत्री श्यामलाल

15 अर्जुनलाल दत्तक पुत्र भूरा

16. बाबूलाल पुत्र भैरूराम

17. मुरली देवी पत्नि श्योनाथ

18 रामजीलाल पुत्र श्योनाथ

19 रामेश्वर पुत्र श्योनाथ

20 शम्भुदयाल पुत्र श्योनाथ

21. सेडू उर्फ सेडूराम पुत्र श्योनाथ

समस्त जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला–जयपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

2. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

3 शाखा प्रबन्धक केनरा बैंक शाखा शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

4 शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैंक शाखा मनोहरपुर जिला जयपुर (राज.)

– प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट</u>

निर्णय दिनांक 20/5/24

उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप वादी का वाद कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता। हाल आराजी खाता संख्या 455 के खसरा नम्बरान् 3296/0.48, 3297/0.47 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9500 हैक्टेयर भूमि का वाके ग्राम कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है : –

प्रभाती पत्नी श्यामलाल जाति अहीर हि0 125/11284 सा0 देह खातेदार , अर्जुनलाल पुत्र श्यामलाल जाति अहीर हि0 125/11284 सा0 देह खातेदार , गोठी पुत्री श्यामलाल जाति अहीर हि0 125/11284 सा0 देह खातेदार, चन्दी पुत्री श्यामलाल जाति अहीर हि0 125/11284 सा0 देह खातेदार, नन्छी पुत्री श्यामलाल जाति अहीर हि0 125/11284 सा0 देह खातेदार, भीवा पुत्र श्यामलाल जाति अहीर हि0 125/11284 सा0 देह खातेदार, मुकेश पुत्र श्यामलाल जाति अहीर हि0 125/11284 सा0 देह खातेदार, रमेशी पुत्री श्यामलाल जाति अहीर हि0 125/11284 सा0 देह खातेदार, राजू पुत्री श्यामलाल जाति अहीर हि0 125/11284 सा0 देह खातेदार, रामधन पुत्र श्यामलाल जाति अहीर हि0 125/11284 सा0 देह खातेदार, विकास पुत्र श्यामलाल जाति अहीर हि0 125/11284 सा0 देह खातेदार, हंसा पुत्री श्यामलाल जाति अहीर हि0 125/11284 सा0 देह खातेदार, रोहिताश पुत्र श्यामलाल जाति अहीर हि0 125/11284 सा0 देह खातेदार राहिन कैनरा बैंक शाखा शाहपुरा, रामकरण पुत्र श्यामलाल हि0 125/11284 राहिन कैनरा बैंक शाखा शाहपुरा, बाबूलाल पुत्र भैरूराम जाति अहिर हि0 18/ 403 सा0 देह खातेदार, मुरली देवी पत्नी श्योनाथ जाति अहीर हि0 25/1612 सा0 देह खातेदार , रामजीलाल पुत्र श्योनाथ जाति अहीर हि0 25/1612 सा0 देह खातेदार , रामेश्वर पुत्र श्योनाथ जाति अहीर हि0 25/1612 सा0 देह खातेदार , शंभूदयाल पुत्र श्योनाथ जाति अहीर हि0 25/1612 सा0 देह खातेदार , सेडू पुत्र श्योनाथ जाति अहीर हि0 25/1612 सा0 देह खातेदार, सेडुराम पुत्र श्योनाथ जाति अहीर हि0 125/1612 सा0 देह खातेदार, अर्जुनलाल दतक पुत्र भूरा अहीर हि0 20/31 सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी ख0 न0 3296 रकबा 0.4800 है0, 3297/1 रकबा 0.3260 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.8060 है0 भूमि रहेगी।

राजेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र नागरमल अग्रवाल हि0 सम्पूर्ण जाति महाजन नि0 वार्ड नि0 18 बाबा श्याम कॉलोनी शाहपुरा खातेदार के हिस्से में आराजी ख0 न0 3297/2 रकबा 0.1440 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण दीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी ाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें ।

ाय व डिक्री आज दिनांक 20/5/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. सत्यमेव जयते

(अशोक कुमार)
~~सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)~~
सहायक कलक्टर
~~शाहपुरा जयपुर ग्रामीण~~
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

खर्चे

		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
त्र के लिए स्टाम्प पत्र के लिए स्टाम्प के लिए स्टाम्प – रूपये पर प्लीडर की फीस यों के लिए निर्वाह – व्यय नर की फीस शिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
		जोड़	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner